सं० सं०–03/परी०–बि०त०से०आ०–02/2021 (खण्ड–क)...1587 दिनांक–23/07/2024

बिहार सरकार

बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना

आवश्यक सूचना

विज्ञापन सं०–37/2023, वाहन चालक

विज्ञापन संख्या–37/2023, वाहन चालक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रथम चरण में योग्य (Qualified) अभ्यर्थियों में से कोटिवार मेधाक्रमानुसार अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन का कार्य दिनांक–11.03.2024 से 13.03.2024 तक आयोजित किया गया था।

दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों की विवरणी उनके नाम एवं Application No. के साथ आयोग के **Website- www.btsc.bihar.gov.in** अथवा इस लिंक **http://103.75.167.252/DRIVER पर आपत्ति दर्ज करने (यदि हो तो) हेतु डाला गया है।**

अभ्यर्थी अपना Application No., मोबाईल नम्बर एवं जन्म तिथि डालकर registered मोबाईल नम्बर पर प्राप्त OTP के माध्यम से Login कर दर्शायी गई सभी विवरणी यथा, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, कोटि, अयोग्यता का कारण आदि देखकर संतुष्ट हो लें। किसी प्रकार का कोई त्रुटि होने पर अपना आपत्ति कारण सहित **दिनांक–24.07.2024 से 26.07.2024 की संध्या 06:00 बजे** तक आयोग के वेबसाईट पर Raise Objection बटन पर Click करके दर्ज कर सकते हैं।

उक्त ऑनलाईन आपत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम यथा ई–मेल/ निबंधित डाक/कुरियर आदि से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

आपत्ति डालने के पूर्व अभ्यर्थीगण निम्नलिखित निदेशों को ध्यानपूर्वक समझ लें:–

1. अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (मैट्रिक अथवा समकक्ष) का उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र का मूल प्रति नहीं रहने के कारण अयोग्य किया गया है।
2. योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण–पत्र (यथा– शैक्षणिक प्रमाण–पत्र, आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण–पत्र हेतु निर्गत प्रमाण–पत्र) दिनांक–**30.09.2023** तक का निर्गत होने पर मान्य किया गया है।
3. Online आवेदन में दावा किये गये कोटि के अनुसार अनिवार्य प्रमाण–पत्र यथा– जाति प्रमाण–पत्र (SC/ST हेतु), क्रिमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र (EBC/BC हेतु), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण–पत्र (EWS हेतु) प्रस्तुत नहीं करने के कारण आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
4. Online आवेदन में अंकित आरक्षण कोटि से इतर कोटि का प्रमाण–पत्र संलग्न रहने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
5. क्रिमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र/जाति प्रमाण–पत्र **पति** के नाम से होने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। Online Objection में साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–15760, दिनांक–02.09.2022 के आलोक में भी कार्रवाई की जायेगी।
6. स्वतंत्रता सेनानी के नाती–नतिनी/पोता–पोती द्वारा सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
7. विज्ञापन में वर्णित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा की अर्हता को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है।

उपर्युक्त कारणों से अमान्य किये गये आवेदन/कोटि परिवर्तन का लाभ से संबंधित आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

23.7.2024

प्रभारी सचिव,

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

D:\2022\VAahan Chalak\Suchna JanSampark\Notice (Website)_10